

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

पत्तनम भवन, भोपाल - 462004
=====

क्रमांक - एक 73- 51 / 20-3/2005. भोपाल, दिनांक -
प्रति,

शुचि,
इन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
छद्म प्रीत विहार नई दिल्ली ।

विषय :- अज्ञातकीय संस्था कार्मेल कान्वेन्ट स्कूल कमेड, उज्जैन, जिला उज्जैन, 48300
को सी. डी. एस. ई. / अर्द्ध-सी. एस. ई. से सम्बन्धता हेतु
एन.ओ. ली. देने बाबत ।

== 00 ==

राज्य शासन द्वारा अज्ञातकीय संस्था कार्मेल कान्वेन्ट स्कूल कमेड, उज्जैन, 48300
को सी. डी. एस. ई. / अर्द्ध-सी. एस. ई. नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनाप्रति
प्रमाण - वर विशेष प्रकरण मानकर निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

01. संस्था को अपनी कार्य समिति में एक प्रतिनिधि जिला शिक्षा अधिकारी को स्वयं को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना होगा तथा दूसरे प्रतिनिधि के रूप में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पंजीयक (सुपरवीसर) को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य है ।
02. नीतिगत निर्णयों में इन दोनों मनोनीत सदस्यों को आमंत्रित करना होगा ।
03. मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए लिये गये निर्णयों में यदि संस्था से जिन्हें कार्यों की अपेक्षा की जाती है तो ऐसे कार्यों को संस्था को करना होगा ।
04. डेलीक्यूट गतिविधियों में यदि संस्था बाधे तो सदस्यता ग्रहण कर सकता है । परन्तु ऐसा न होने पर भी यदि मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को इनके किसी परिसर या भवन की आवश्यकता पड़ती है तो उपलब्ध कराना होगा ।

ATTESTED
Principal
Carmel Convent Sr. Sec. School
Kamed, UJJAIN (M.P.)

निरन्तर 2 पर.

05. राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संवाहित करने के लिए यदि संस्था या भवन या स्टाफ की सेवाओं की आवश्यकता होगी, तो उन्हें उपलब्ध कराना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

|| अट. अट. अश्विनी ||
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठ संकेत क्रमांक एफ 73- 51/2G-3/2008 . भोपाल, दिनांक - 9-11-05

प्रतिलिपि :-

1. आशुक्त, लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश भोपाल।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला - उज्जैन, मध्य प्रदेश
3. प्राचार्य, अज्ञात नाम के स्कूल चण्डे, उज्जैन, मध्य प्रदेश
4. आर्डर बुक।

की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेजित है।

अवर सचिव (11) 05

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग